

पहले: जी.सी. मितल और जी.एस. चहल, जेजे।

लक्ष्मी राइस मिल्स, अंबाला शहर और अन्य,-याचिकाकर्ता।

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य,-प्रतिवादी।

सिविल रिट याचिका संख्या 1989 का 5553

6 सितम्बर ; एम्बर, 1990

भारत का संविधान, 1950—कला. 226 और 227—हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम (1973 का XX)—भारत के बाहर निर्यात के लिए चावल पर कोई कर नहीं लगाया जाएगा—चावल और धान अलग-अलग विपणन योग्य वस्तुएं हैं—धान—चाहे उन्हें कर से छूट दी गई हो।

आयोजित, धान और चावल दो अलग-अलग विपणन योग्य वस्तुएं हैं और यदि चावल के निर्यात पर कोई कर नहीं है तो यह नहीं कहा जा सकता है कि जिस धान से चावल का उत्पादन किया गया था उस पर खरीद कर नहीं लगता था।-

(पैरा 6)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत याचिका में प्रार्थना की गई है कि मामले के रिकॉर्ड मंगवाए जाएं और उनका अवलोकन करने के बाद यह अदालत निम्नलिखित जारी करने में प्रसन्न हो:

- (i) तब भारत के बाहर निर्यात किए जाने वाले चावल पर कर न लेने के लिए उनके उत्तरदाताओं को उचित रिट (ओआरसी निर्देश) जारी किया गया है;
- (ii) हरियाणा सामान्य बिक्री कर नियमों के नियम 24ए को अधिनियम के दायरे से बाहर घोषित किया जाए, जहां तक यह केवल चावल के बाद के खरीदार को कर की वापसी की अनुमति देता है, न कि उस डीलर को जो धान से चावल बनाता है और धान पर कर का भुगतान करता है;
- (iii) उत्तरदाताओं को अग्रिम नोटिस देना बंद कर दिया जाए;
- (iv) याचिका की लागत प्रदान की जाएगी;
- (v) या ऐसे अन्य उचित आदेश, आदेश या निर्देश जो माननीय न्यायालय मामले की परिस्थितियों के तहत उचित समझे, याचिकाकर्ताओं के पक्ष में और यहां उत्तरदाताओं के खिलाफ जारी किए जाएं।

आगे प्रार्थना की गई है कि लंबित रहने के दौरान रिट याचिका में माननीय न्यायालय हरियाणा बिक्री कर अधिनियम के तहत लेनदेन पर कर की वसूली पर

रुक लगाने की कृपा कर सकता है।

याचिकाकर्ता के वकील राजेश बिंदल।

प्रतिवादियों के लिए एससी मोहंता, एजी हरियाणा, एसके सूद, डी,ए,, के साथ

आदेश

गोकल चंद मितल, जे.

(1) रिट याचिकाओं के इस समूह में यह सवाल शामिल है कि क्या राज्य और केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम के प्रयोजनों के लिए धान और चावल एक ही वस्तु हैं या दो अलग-अलग वस्तुएं हैं। हमारा उत्तर यह है कि वे दो अलग-अलग वस्तुएं हैं।

(2) याचिकाकर्ता धान के अंतिम खरीदार हैं। वे धान की भूसी निकालते हैं और चावल का उत्पादन करते हैं। उनके द्वारा उत्पादित चावल या तो राज्य के भीतर या अंतर-बासी बिक्री में बेचा जाता है या देश से बाहर निर्यात किया जाता है।

(3) इसमें कोई विवाद नहीं है कि जो चावल देश से बाहर निर्यात किया जाता है उस पर कर नहीं लगता है। इसी सादृश्य पर 'याचिकाकर्ता का दावा है कि जिस धान से ऐसे चावल का उत्पादन किया जाता है उस पर खरीद कर नहीं लगता है। हमें इन रिट याचिकाओं में अकेले इस बिंदु पर विचार करना होगा, जो मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा मूल्यांकन तैयार करने के लिए आगे बढ़ने से पहले दायर की गई हैं। रिट याचिकाएँ या तो निर्धारण प्राधिकारी से नोटिस प्राप्त होने पर या बिना कोई नोटिस प्राप्त किए दायर की गईं। इस न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेशों के मद्देनजर आकलन तैयार नहीं किया जा सका।

(4) इसे गणेश ट्रेडिंग कंपनी कमल बनाम हरियाणा राज्य (1) में उच्चतम न्यायालय द्वारा तय किया गया है। और बाबू राम जगदीश कुमार एंड कंपनी बनाम पंजाब राज्य (2)। सामान्य बोलचाल की भाषा में धान और चावल दो अलग-अलग वस्तुएं हैं। भूसी निकालने से माल की वस्तु में परिवर्तन लाया जाता है और यदि धान और चावल पर कर लगाया जाता है। यह नहीं कहा जा सकता कि दोहरा कराधान है।

(5) इसी तरह, बेन गॉर्न नीलगिरी प्लांटेशन्स कंपनी बनाम सेल्स टैक्स ऑफिसर, स्पेशल सर्कल, एर्नाकिलम (3) में। और स्टर्लिंग गुड्स बनाम कर्नाटक राज्य (4), (1986) 63 एसटीसी 239, सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि प्रसंस्करण से माल की पहचान बदल जाती है। एआईटी प्रसंस्करण से पहचान नहीं बदल सकती है लेकिन धान और चावल दो विपणन योग्य वस्तुएं हैं और चावल को नैडी नहीं कहा जा सकता है और इसके विपरीत।

उपरोक्त निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, बिना किसी विस्तार के हम मानते हैं कि धान और चावल दो अलग-अलग चीजें हैं - और यदि चावल के निर्यात पर कोई कर नहीं है तो यह नहीं कहा जा सकता है कि जिस धान से चावल का उत्पादन किया गया था उस पर खरीद कर नहीं लगाया जा सकता था।

(1) 32 (1973)एसटीसी 623.

(2) (1979) 44एसटीसी. 159.

(3) (1964) 15एसटीसी 753.

(4) (1986) 63एसटीसी 239.

(7) उपरोक्त बताए गए कारणों के लिए, 1 सिविल रिट याचिका संख्या, 3017 से। 3019, 3111, 3112, 3371, 3372, 3760, 4283, 4409, 4479, 4480,

5207, 5553, 5680, 5766, 7577, 10027 से 10033, 12352, 12559, 16990 और 16991 ओ 1989, लागत के संबंध में बिना किसी आदेश के खारिज कर दिए जाते हैं। जबकि मूल्यांकन प्राधिकारी कानून के अनुसार मूल्यांकन करने के लिए आगे बढ़ेगा, यह याचिकाकर्ताओं के लिए मूल्यांकन प्राधिकारी के समक्ष और वहां से अपील में अन्य मुद्दे उठाने के लिए खुला होगा।

पीसीजी

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

जसप्रीत कौर
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
हिसार, हरियाणा